प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थानाः– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या........67/22........ दिनांक........01/3/2022........
2. (1) अधिनियम 2018 धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
   (3) अधिनियम .... धाराये :–..................................
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........9........समय........1:45 pm........
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 28.02.2022, समय 01.35 पी0एम0
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– 23.02.2022 समय 11.30 ए0एम0
4. सूचना की किस्म :– टाईपशुदा
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :–चौकी से उत्तर पश्चिम में करीब 45 कि0मी0 दूर।
   (ब) पता :– तगसिंह बेरा आडा मार्ग, सायला।
   (स) यदि इस पुलिस थानां से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   श्री कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. श्री पूराराम पुत्र श्री धारूमल जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी अरजियाना तहसील व पुलिस थाना सिवाना जिला बाडमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डांगरा अतिरिक्त कार्यभार ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर।
   2. श्री तगसिंह पुत्र श्री रानसिंह जाति राजपूत उम्र 44 वर्ष पेशा खेती निवासी बेरा आडा मार्ग सायला पुलिस थाना सायला जिला जालोर। (प्राईवेट व्यक्ति)
   3. श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति राजपूत निवासी सायला निवासी सायला तहसील व पुलिस थाना सायला जिला जांलोर (सरपंच श्रीमति रजनी कंवर का जेठ)
   4. श्रीमति रजनी कंवर पत्नि शम्भूसिह जाति राजपूत निवासी सायला तहसील सायला जिला जालोर हाल सरपंच ग्राम पंचायत सायला पंचायत समिति सायला जिला जालोर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–...
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पतिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 1,50,000/–रू0 .
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें

श्रीमान् एडिशनल एसपी साहब
ए0 सी0 बी0 जालोर

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मन् कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9783181611 का निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा वर्ष 2015 में ग्राम सायला में नया बस स्टैण्ड के पास एक आवासीय प्लॉट क्रय किया गया था परन्तु मेरे द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट की त्रुटि वंश व्यवसायिक रजिस्ट्री नही करवाई थी जिस पर मेरे द्वारा वर्ष 2021 में उक्त प्लॉट की व्यवसायिक रजिस्ट्री जरिये शुद्धिपत्र करवाई गई। वर्ष 2020 में मेरे द्वारा उक्त प्लॉट पर व्यवसायिक निर्माण करवाने के लिये ग्राम पंचायत सायला से इजाजत निर्माण प्राप्त की गई परन्तु कोराना काल के दौरान निर्माण कार्य नही करवाया पाया था। तत्पश्चात् मेरे द्वारा फरवरी 2021 में पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया तो ग्राम पंचायत सायला द्वारा निर्माण कार्य को रूकवा दिया गया तथा पुनः एनओसी प्राप्त करने हेतु दबाव बनाया गया। जिस पर मेरे द्वारा फरवरी 2021 में ही ग्राम पंचायत सायला से एनओसी बाबत् रसीद कटवायी गई परन्तु बिना वजह परेशान करते हुए आज दिनांक तक एनओसी जारी नही की गई। दिनांक 21.02.2022 को ग्राम पंचायत सायला द्वारा पुनः नोटिस जारी करवाते हुए निर्माण कार्य रोकते हुए मुझे मूल दस्तावेजात के साथ ग्राम पंचायत सायला बुलाया गया। जिस पर दिनांक 22.02.2022 को मैं ग्राम पंचायत सायला में सरपंच जेठ श्री विक्रमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम से मिला तो उन्होनें मेरे से एनओसी की रसीद कटवाने हेतु दो लाख चालीस हजार रूपये देने को कहा तो मेरे द्वारा पूर्व में एनओसी जारी होना बताया तो उन्होनें कहा कि पूर्व की एनओसी में सरपंच के हस्ताक्षर नही है इसलिए अब यह एनओसी मान्य नही है। जिस पर सरपंच जेठ श्री विक्रमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी श्री पूराराम ने कहा कि तुम हमें एक लाख पचास हजार रूपये रिश्वत के दे दोगें तो तुम्हें एनओसी लेने की जरूरत नही पडेगी। श्री विक्रमसिंह ग्राम पंचायत सायला की सरपंच श्रीमति रजनी कंवर का जेठ है जो ग्राम पंचायत में ही रहता है तथा ग्राम पंचायत का सारा काम काज देखता है। मैं पिछले दो वर्ष से परेशान हूं तथा ग्राम पंचायत के चक्कर काट–काट कर थक चूका हूं। सरपंच जेठ श्री विक्रमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी पूराराम बिना रिश्वत लिये मुझे निर्माण कार्य नही करने देगें जबकि मैं पूर्व में उक्त प्लॉट पर निर्माण हेतु एनओसी प्राप्त कर चुका हूं।

मैं सरपंच जेठ श्री विक्रमसिंह व ग्राम विकास अधिकारी सायला श्री पूराराम को रिश्वत नही देना चाहता हूं। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरे एवं श्री विक्रमसिंह व श्री पूराराम ग्राम विकास अधिकारी के आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें।

सलंग्न :– ग्राम पंचायत सायला द्वारा वर्ष 2020 में जारी एनओसी, वर्ष 2021 में एनओसी बाबत् काटी गई रसीद, ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी नोटिस व उक्त क्रय शुदा प्लॉट की रजिस्ट्रीयां। दिनांक 23.02.2022

प्रार्थी
एसडी
कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत निवासी
तूरा तहसील सायला जिला जालोर
मोबाईल नम्बर 9783181611

एसडी रॉयल शर्मा एसडी ओमप्रकाश गुर्जर एसडी राजेन्द्रसिह नि.पु. एसडी महावीरसिंह अ.पु.अ.
25.02.2022 25.02.2022 23.02.2022 23.02.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 23.02.2022 समय 11.30 ए0एम0</u>

इस समय परिवादी कानसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत उम्र 68 वर्ष निवासी तूरा तहसील सायला जिला जालोर मोबाईल नम्बर 9783181611 ने एक टाईप शुदा रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर